



राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध संघ सरकार द्वारा संरक्षण



अप्रैल 2001 में जारी

भूमिका

संघीय कानून में व्यक्ति के राष्ट्रीय मूल, नस्ल, रंग, धर्म, अपंगता, लिंग, और परिवारिक स्थिति के आधार पर उसके साथ भेदभाव करने की मनाही है। राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध करने वाले कानूनों द्वारा किसी व्यक्ति के साथ उसके जन्म स्थान, वंश, संस्कृति या भाषा के आधार पर भेदभाव करने को गैरकानूनी माना गया है। इसका अर्थ यह है कि लोगों को समान अवसर के अधिकार से इसलिए बंधित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे या उनका परिवार किसी अन्य देश से हैं, क्योंकि उनका नाम या उच्चारण ढंग किसी राष्ट्रीय मूल के समूह से जुड़ा है, क्योंकि वे किसी राष्ट्रीय मूल के समूह के रिति-रिवाजों को अपनाते हैं अथवा किसी खास राष्ट्रीय मूल के व्यक्ति के साथ उनका विवाह हुआ है या संबंध है।

डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के सिविल राइट्स डिवीज़न को चिंता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में राष्ट्रीय मूल के आधार पर होने वाले भेदभावों की, हो सकता है इसलिए रिपोर्ट नहीं होती हो क्योंकि इसके शिकार व्यक्तियों को अपने अधिकारों का पता नहीं हो या वे इस बात की शिकायत सरकार को करने से डरते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए सिविल राइट्स डिवीज़न ने नेशनल ओरिजिन वर्किंग ग्रूप की स्थापना की है ताकि नागरिकों और आप्रवासियों को अपने कानूनी अधिकारों को बेहतर तरीके से समझने व अपने हक पाने में सहायता मिल सके। यदि आपको लगता हो कि आप या आपके किसी परिचित के साथ राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव हुआ है और आप अपने कानूनी अधिकारों को पाने के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस पुस्तिका को पढ़ें।

यह पुस्तिका राष्ट्रीय मूल के आधार पर होने वाले भेदभावों को निषिद्ध ठहराने वाले करने वाले कानूनों की व्याख्या करती है और कुछ उदाहरण बताती है। सिविल राइट्स डिवीज़न एवं इसकी शाखाओं के बारे में अधिक जानकारी इंटरनेट पर <http://www.usdoj.gov/crt> प्राप्त कर सकते हैं। भेदभाव संबंधी शिकायतें करने के लिए आप इस डिवीज़न से आगे बताए गए तरीकों से संपर्क कर सकते हैं।

अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानें

डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के सिविल राइट्स डिवीज़न द्वारा इन बातों में भेदभाव निषिद्ध ठहराने वाले संघीय कानूनों को लागू किया जाता है :

शिक्षा

रोज़गार

आवास

कर्ज

सार्वजनिक आवास

कानून अनुपालन / पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार

मतदान

यह प्रभाग (डिवीज़न) अपांगता के कारण होने वाले भेदभाव के निषेध के लिए कानूनों को लागू करता है, कुछ राज्यों या स्थानीय केंद्रों में रखे गए लोगों के नागरिक अधिकारों का संरक्षण करता है, तथा किसी के प्रति उसकी नस्ल, रंग या राष्ट्रीय मूल के कारण हुए अपराधों पर कानूनी कार्यवाही करता है।

कुछ मामलों में, इस प्रभाग द्वारा केवल तब कार्यवाही की जा सकेगी जब भेदभाव की कोई "परंपरा या व्यवहार" हो। "परंपरा या व्यवहार" का सामान्य अर्थ है कि ऐसे भेदभाव की एक से अधिक घटनाएं हो, और कोई ऐसी नीति या लगातार होने वाला ऐसा व्यवहार हो जो भेदभावजनक हो।

नागरिक अधिकारों का आपराधिक उल्लंघन

* नाइट क्लब के कार्यक्रम से लौटते समय एक दक्षिणी एशियाई मूल के युवक पर हमला हुआ। स्किनहेड ग्रुट के एक सदस्य हमलावर ने नस्लवादी गालियां देते हुए शिकार व्यक्ति को क्लब के पार्किंग लाट में मुक्के और पाइप से पीटते हुए बेहोश कर दिया।

* कू क्लबस क्लान की एक वैठक में संगठन का एक सदस्य दूसरे से कहता है कि मैक्सिकन व पोर्ट रिंस लोगों को "वहाँ वापिस जाना चाहिए जहाँ से वे आए हैं" जाना चाहिए। उन्होंने हिस्पैनिक मूल के युवा दंपत्ति को डराने तथा उस इलाके को छोड़ कर चले जाने का दबाव डालने के लिए उनके घर के सामने आंगन में एक क्रास जलाया। क्रास जलाने के पहले एक आक्रांता ने पिस्तौल निकाली तथा एक पिस्तौल अपने साथी को दी ताकि शिकार व्यक्ति उन्हें रोकने की कोशिश नहीं कर पाए।

* एक अमेरिकी कंपनी मैक्सिको के एक छोटे गांव में कामगारों की भर्ती करती है, उनसे अच्छे काम तथा अच्छे वेतन का वादा करती है। एक खाली टैंकर ट्रक में यह कंपनी मैक्सिकन लोगों को चोरी छुपे यूनाइटेड स्टेट्स ले जाती है। अंततः जब ये लोग यू.एस. में आ जाते हैं तो कामगारों को डराया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि यदि फैक्टरी छोड़ने की कोशिश की तो उन्हें मार डाला जाएगा।

सिविल राइट्स डिवीजन के आपराधिक अनुभाग (क्रिमिनल सेक्शन) द्वारा ऐसे आरोपियों पर मुकदमे चलाए जाते हैं जो किसी व्यक्ति के राष्ट्रीय मूल के आधार पर संघ सरकार द्वारा संरक्षित उसके अधिकारों से उसे वंचित करने के लिए दबाव डालते हैं या हिंसा फैलाते हैं। इन अधिकारों में ये विषय शामिल हैं, आवास, रोज़गार, शिक्षा या सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग। आप क्रिमिनल सेक्शन को (202) 514-3204 पर फोन कर सकते हैं या इस पते पर लिख सकते हैं : Criminal Section, P.O. Box 66018, Washington, D.C. 20035-6018.

अपंग लोगों के अधिकार

* मेडिकेड पाने वाले रोगियों को देखने वाले एक एचएमओ के पास मैक्सिकन अमेरिकी मूल की महिला आती है जो सेरेब्रल पैल्सी (दिमाग़ संबंधी रोग) से पीड़ित है। एचएमओ उसे दूसरे दिन आने को कहता है जबकि अन्य लोगों को वह तत्काल सहायता दे रहा है।

यह उदाहरण अपंगता के कारण भेदभाव को निषिद्ध ठहराने वाले तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध ठहराने वाले संघीय कानूनों का उलंघन हो सकता है। यदि आपको लगता है कि आपकी अपंगता के कारण आपके साथ भेदभाव हुआ है तो आप डिसेबिलिटी राइट्स सेक्शन से नंबर (800) 514-0301 (वातचीत) या 800-514-0383 (टीटीवाय) पर संपर्क कर सकते हैं। आप इन्हें लिख भी सकते हैं : Disability Rights Section, P.O. Box 66738, Washington, D.C. 20035-6738.

शिक्षा

* एक बच्चे को अंग्रेजी बोलने में कठिनाई होती है पर उसका स्कूल उसे अंग्रेजी एवं अन्य विषय सीखने के लिए आवश्यक सहायता नहीं देता।

* हैटियन बहुमत वाले स्कूल द्वारा आनर्स कक्षाएं नहीं दी जाती जबकि उस डिस्ट्रिक्ट के अन्य स्कूलों में, जिनमें हैटियन मूल के ज्यादा छात्र नहीं हैं, द्वारा आनर्स एवं एडवांस प्लेसमेंट पाद्यक्रम प्रदान किए जाते हैं।

ये उदाहरण किसी व्यक्ति के साथ राष्ट्रीय मूल के आधार पर शिक्षा में भेदभाव को निषिद्ध ठहराने वाले संघीय कानून का उल्लंघन हो सकते हैं। इस प्रभाग के शैक्षणिक अवसरों से संबंधित विभाग द्वारा इन कानूनों को प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के साथ-साथ सार्वजनिक महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में लागू किया जाता है। शिक्षा विभाग के कार्यों द्वारा शिक्षा संबंधी सभी पहलुओं में भेदभाव का निषिद्ध है। इनमें शामिल हैं, स्कूलों व कक्षाओं में छात्रों का आवंटन, छात्रों की आवागमन सुविधा, शिक्षकों एवं कर्मचारियों की भर्ती व उनकी पदस्थापना, स्कूल के संसाधनों का वितरण तथा अंग्रेजी बोलने की सीमित क्षमता रखने वाले छात्रों को अंग्रेजी सीखने में सहायता करने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान करना। शिकायत करने या अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए शिक्षा विभाग से (202) 514-4092, पर संपर्क

करें या इस पते पर लिखें : Educational Opportunities Section, P.O.
Box 65958, Washington, D.C. 20035-5958

रोज़गार

* ट्रॉफिट (यातायात) विभाग के एक कर्मचारी के प्रति उसका सुपरवाइज़र अक्सर नस्लवादी अपशब्द कहता है क्योंकि कर्मचारी का परिवार ईरानी मूल का है। पिछले सप्ताह बॉस ने बुलेटिन बोर्ड पर एक झूठा नोटिस लगाया जिसमें सभी को सूचित करते हुए लिखा कि कोई भी इस कर्मचारी पर विश्वास न करे क्योंकि वह आतंकवादी है।

* रुस से आप्रवास कर आई एक महिला एकाउंटेंट की नौकरी के लिए आवेदन करती है। मालिक उसका आवेदन इसलिए अस्वीकार कर देता है क्योंकि उसका उच्चारण अलग है जबकि वह अपने काम में पूरी तरह समर्थ है।

* खाद्य-सामग्री का संसाधन करने वाली एक कंपनी रोज़गार के लिए आवेदन पत्र भरने के पहले ऐसे लोगों से जो विदेशी जैसे दिखते हों, काम करने की अनुमति संबंधी दस्तावेज़ मांगती है; जबकि काकेशियन मूल के लोगों को रोज़गार संबंधी आवेदन पत्र भरने के पहले कोई दस्तावेज़ नहीं दिखाने पड़ते। इसके अलावा अन्य मूल के कर्मचारियों के दस्तावेजों की जाँच बहुत बारीकी से की जाती है और उन दस्तावेजों को अक्सर रद्द कर दिया जाता है जबकि काकेशियन में मूलतः जन्मे कर्मचारियों द्वारा दिखाए गए वैसे ही दस्तावेज़ स्वीकार कर लिए जाते हैं।

ये उदाहरण किसी कर्मचारी या रोज़गार प्रार्थी के साथ राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव वाले कानून का उल्लंघन हो सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि कोई रोज़गार दाता किसी व्यक्ति के राष्ट्रीय मूल के आधार पर उसके प्रति अनुशासन, तंग करने, वर्खास्तगी, नौकरी देने या पदोन्नति से मना करने की कार्यवाही नहीं कर सकता।

यदि आपको लगता है कि आपके रोज़गार दाता, श्रम संगठन या रोज़गार एजेंसी ने आपके राष्ट्रीय मूल के आधार पर आपके साथ भेदभाव किया है तो संपर्क करें

Equal Employment Opportunity Commission
(800) 669-4000
(15 या इससे अधिक कर्मचारियों के रोज़गार दाता)

Office of Special Counsel
(800) 255-7688
P.O. Box 27728
Washington, D.C. 20038-7728.
(4 या 14 कर्मचारियों के रोज़गार दाता)

Employment Litigation Section
(202) 514-3831
P.O. Box 65968
Washington, D.C. 20035-5968
(राज्य या स्थानीय शासन के रोज़गार दाता जहाँ भेदभाव संबंधी गैरकानूनी परंपरा
या व्यवहार हो)

साथ ही, कोई रोज़गार दाता किसी खास प्रकार के काम करने की अनुमति
संबंधी दस्तावेज जैसे कि ग्रीन कार्ड मांग कर या किसी विशेष राष्ट्रीय मूल के आवेदकों
द्वारा दिए गए ऐसे दस्तावेजों को अमान्य कर, संघीय कानून का उल्लंघन कर सकता
है। अधिक जानकारी या आरोप पत्र दाखिल करने के लिए प्रभाग के विशेष सलाहकार
के कार्यालय (Office of Special Counsel) से ऊपर बताए गए पते या
निःशुल्क टेलीफोन नंबर पर संपर्क करें।

आवास

* हवाई द्वीप मूल का एक परिवार एक अपार्टमेंट दूँड़ रहा है। किराया कंपनी के एजेंट द्वारा उन्हें कहा जाता है कि कोई अपार्टमेंट खाली नहीं है जबकि अपार्टमेंट खाली है और श्वेत आवेदकों को दिखाया जा रहा है।

* मकान दलाल एक लैटिनो परिवार को लैटिनो वस्तियों में ही मकान दिखाता है और उन्हें श्वेत लोगों की वस्तियों में मकान दिखाने से मना कर देता है।

ये उदाहरण संघीय फेयर हाउसिंग एक्ट का उल्लंघन हो सकते हैं। यह कानून राष्ट्रीय मूल, नस्ल, रंग, लिंग, धर्म, अपंगता या पारिवारिक स्थिति (18 वर्ष से छोटे बच्चों का साथ रहना) के आधार पर आवास संबंधी मामलों में भेदभाव निषिद्ध ठहराता है। भेदभाव संबंधी निजी शिकायतें आवास एवं शहरी विकास विभाग (HUD) को (800) 669-9777 पर की जा सकती है। यदि आपको लगता है कि भेदभाव करने में कोई परम्परा या खास व्यवहार अपनाया जा रहा है तो डिवीजन के हाउसिंग एंड सिविल इन्फोर्मेंट सेक्शन से (202) 514-4713 पर संपर्क करें।

कर्ज़

* लैटिनी मूल की महिला से समान वित्तीय पृष्ठभूमि एवं उसी प्रकार के लोन लेने वाले एक श्वेत पुरुष ग्राहक के मुकाबले अधिक व्याज दर एवं अधिक फीस ली जाती है।

यह उदाहरण किसी व्यक्ति के राष्ट्रीय मूल, नस्ल, रंग, लिंग, धर्म, अपंगता या वैवाहिक स्थिति या सार्वजनिक सहायता के स्रोत से उसकी आय के कारण उसके साथ भेदभाव निषिद्ध ठहराने वाले संघीय कानूनों का उल्लंघन हो सकता है। यदि आपको लगता है कि आपको राष्ट्रीय मूल या अन्य संरक्षित (ऊपर वर्णित जैसे) कारणों से कर्ज़ देना अस्वीकार किया गया है तो आप कर्ज़दाता से आपके आवेदन को नामंजूर करने के कारण लिखित में मांग सकते हैं।

यदि कर्ज़ घर के मॉर्टगेज, मकान सुधार या अन्य आवास संबंधी कारणों के लिए है तो आप डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट को (800) 669-9777 पर शिकायत कर सकते हैं। यदि कर्ज़ मकान के अलावा किसी अन्य

प्रयोजन (जैसे कि कार लोन) हेतु हो तो आप इस डिवीजन के हाउसिंग एंड सिविल इंफोर्मेंट सेक्शन या कर्जदात्री संस्था की नियंत्रण एजेंसी को शिकायत कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि वहाँ ऐसे भेदभाव की परंपरा है या व्यवहार है तो आप हाउसिंग एंड सिविल इंफोर्मेंट सेक्शन को आपके अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी पाने या शिकायत करने के लिए (202) 514-4713 पर फोन कर सकते हैं।

सार्वजनिक सुविधाएं

* एक रेस्टोरेंट में एशियाई मूल के अमेरिकी लोगों के एक समूह को खाना परोसे जाने के लिए एक घंटे से अधिक समय तक प्रतीक्षा करना पड़ती है जबकि श्वेत ग्राहकों को त्वारित सेवा मिलती है।

* एक होटल में आए हैटियन मूल के अमेरिकी लोगों को कहा गया कि उन्हें क्रेडिट कार्ड की बजाय नकद पैसा देना पड़ेगा, अन्य ग्राहकों के मुकाबले उनसे अधिक पैसा लिया गया, और उन्हें समान सुविधाएं, जैसे कि तौलिए व साबुन, नहीं दी गई।

ये उदाहरण राष्ट्रीय मूल, नस्ल, रंग या धर्म के आधार पर सार्वजनिक सुविधाओं के प्रदान में भेदभाव निषिद्ध ठहराने वाले संघीय कानूनों का उल्लंघन हो सकते हैं। सार्वजनिक सुविधाओं में शामिल हैं होटल, रेस्टोरेंट और मनोरंजन स्थल। यदि आपको लगता है कि आपको सार्वजनिक सुविधा स्थलों पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई या समान आनंदप्रद सुविधाएं नहीं मिलीं और वहाँ भेदभाव की परंपरा या पद्धति है तो हाउसिंग एंड सिविल इंफोर्मेंट सेक्शन से (202) 514-4713 पर संपर्क करें। आप इस पते पर लिख भी सकते हैं : Housing and Civil Enforcement Section, P.O. Box 65998, Washington, D.C. 20035-5998.

पुलिस द्वारा दुर्बंधवहार

* लैटिनो लोगों द्वारा कार चलाते समय किए गए यातायात संबंधी कुछ विशेष उल्लंघनों के लिए पुलिस अधिकारी लगातार ही उन्हें रोकते हैं, जबकि ऐसे ही उल्लंघनों के लिए श्वेत ड्राइवरों को बहुत कम रोकते हैं।

* वियतनामी मूल के आदमी से सङ्क पर पूछताछ करते हुए एक पुलिस अधिकारी इसलिए गुस्सा हो जाता है क्योंकि वह आदमी अंग्रेजी नहीं बोल पाने के कारण उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता। अधिकारी उस आदमी के बर्ताव को खराब मान कर उसे गिरफ्तार कर लेता है।

ये उदाहरण यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान द्वारा प्रदत्त समान संरक्षण के नियमों का उल्लंघन हो सकते हैं। ये ओमनिवस क्राइम कंट्रोल एंड सेफ स्ट्रीट्स एक्ट, 1968 का भी उल्लंघन हो सकते हैं। यहाँ कानून राष्ट्रीय मूल, नस्ल, रंग, धर्म या लिंग के आधार पर पुलिस विभाग, जिसे यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा संघीय सरकार का धन दिया जाता है, द्वारा भेदभाव करने का निषेध करता है। वे सिविल राइट्स एक्ट, 1964 के टाइटल VI का भी उल्लंघन कर सकते हैं जो संघीय वित्तीय सहायता, संपत्ति जप्त करने सहित, प्राप्त कानून अनुपालक एजेंसियों द्वारा भेदभाव किया जाना निषिद्ध ठहराता है।

निजी भेदभाव संबंधी शिकायतें इन्हें भेज सकते हैं : Coordination and Review Section, P.O. Box 66560, Washington, D.C. 20035-6560, या Coordination and Review Section से 1-888-848-5306 पर संपर्क कर सकते हैं।

निजी भेदभाव संबंधी शिकायतें आप न्याय संबंधी कार्यक्रमों के कार्यालय को इस पते पर भी भेज सकते हैं : Office for Civil Rights, Office of Justice Programs, U.S. Department of Justice, Washington, D.C. 20531, या Office of Justice Programs से (202) 307-0690 पर संपर्क कर सकते हैं।

राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव करने की परम्परा या व्यवहार किसी पुलिस विभाग में हो तो ऐसी शिकायतों की जाँच तथा उन पर कार्यवाही करने के लिए विशेष विधिगत कार्यवाही कार्यालय है। शिकायत दर्ज करने के लिए स्पेशियल लिटिगेशन सेक्शन से (202) 514-6255 पर संपर्क करें या इस पते पर

लिखें: Special Litigation Section, P.O. Box 66400,
Washington, D.C. 20035-6400.

संस्थाओं में रखे गए लोगों के नागरिक अधिकार

- * जो बंदी अंग्रेजी नहीं बोलते हैं उनके विरुद्ध की जा रही अनुशासनिक सुनवाई का जेल द्वारा अनुवाद नहीं किया जाएगा।
- * जो लोग अंग्रेजी नहीं बोलते उनको उपचार प्रदान करने के लिए राज्य के मनोचिकित्सा अस्पताल के पास कोई साधन नहीं हैं।

ये उदाहरण यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान द्वारा प्रदत्त समान संरक्षण के नियमों का उल्लंघन हो सकते हैं। स्पेशल लिटिगेशन सेक्शन द्वारा राज्य या स्थानीय सरकारी संस्थाओं जैसे कि कारागृह, जेल किशोरों हेतु सुधार केंद्र, विकासशील अपरंगता या मानसिक पिछड़ापन सुधार केंद्र व नर्सिं होम में रखे गए लोगों के लिए उनके संवैधानिक अधिकारों को लागू कराया जाता है। यदि आप किसी ऐसे संस्थान में रह रहे हों और आपको लगता हो कि वहाँ राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव करने की परम्परा या व्यवहार है तो आप स्पेशल लिटिगेशन सेक्शन को (202) 514-6255 पर फोन करें। आप इस पते पर लिख सकते हैं : Special Litigation Section, P.O. Box 66400, Washington, DC 20035-6400.

संघीय सहायता प्राप्त कार्यक्रम

- * एक स्थानीय समाजसेवा एजेंसी कोरियन भाषा में जानकारी या कार्य संबंधी प्रशिक्षण प्रदान नहीं करती जबकि स्थानीय निवासियों का एक चौथाई भाग केवल कोरियन भाषा ही बोलता है।
- * टैक्सास/मैक्सिको सीमा के पास स्थित एक अस्पताल अपने सुरक्षा अधिकारियों को ऐसे कपड़े पहनाता है जो आई एन एस की वर्दी जैसे लगते हैं ताकि लैटिनो लोग डर जाएं और आपात कक्षों से दूर रहें। लैटिनो मूल के रोगियों को कहा जाता है कि डॉक्टर से मिलने के लिए अपने अनुवादकों को पहले से ही साथ लेकर आएं। ये उदाहरण राष्ट्रीय मूल, नस्ल या रंग के आधार पर संघीय निधि प्राप्तकर्ताओं द्वारा भेदभाव निषिद्ध ठहराने वाले कानूनों का उल्लंघन हो सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके साथ राज्य या स्थानीय सरकार की किसी एजेंसी या संघीय सरकार

से निधि प्राप्त करने वाले किसी संस्थान द्वारा भेदभाव किया गया है तो आप डिवीजन के कोआडिनेशन एंड रिव्यू सेक्शन को (888) 848-5306 पर फोन कर सकते हैं। आप इन्हें लिख भी सकते हैं, पता है : Coordination and Review Section, P.O. Box 66560, Washington, D.C. 20035-6560. कोआडिनेशन एंड रिव्यू सेक्शन द्वारा आपकी शिकायत संघीय सरकार की उस निधि प्रदाता एजेंसी को भेजी जाएगी जो अपने हितग्राहियों में भेदभाव निषेध लागू करने के लिए प्राथमिक रूप से ज़िमेवार है।

मतदान

* एक बस्ती में स्पेनिशभाषियों की संख्या बहुत ज्यादा है, वहाँ के मतदाताओं के अनुरोध के बावजूद चुनाव अधिकारी चुनाव संबंधी सामग्री, जिनमें पंजीयन फार्म एवं मतपत्र के नमूने शामिल हैं, स्पेनिश भाषा में प्रदान कराने से मना करते हैं अथवा स्पेनिश भाषियों को अपना अनुवादक मतदान केंद्र में साथ लाने की अनुमति नहीं देते।

* एक निर्वाचन अधिकारी एक अश्वेत मतदाता, जिसका उच्चारण विदेशी लगता है तथा जिसका सरनेम अनजाना है, से उसकी अमरिकन नागरिकता संबंधी दस्तावेज के प्रमाण के बारे में पूछता है जबकि श्वेत मतदाताओं से नागरिकता संबंधी प्रमाण नहीं मांगता।

चुनाव अधिकारियों का ऐसा आचरण मतदान में भेदभाव करने वाले संघीय कानून का उल्लंघन हो सकता है। वोटिंग राइट्स (मतदान अधिकार) एक्ट राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का स्पष्ट तौर पर निषेध नहीं करता। फिर भी, इस कानून के प्रावधानों द्वारा किसी नागरिक की नस्ल या उसके रंग ही नहीं वरन् किसी अल्पसंख्यक भाषाई समुदाय का होने पर भी उसके मतदान संबंधी अधिकारों को सीमित करना या उनसे वंचित करना गैरकानूनी है। साथ ही, इस कानून की यह भी अपेक्षा है कि कुछ क्षेत्राधिकारों में चुनाव सामग्री एवं सहायता अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में भी प्रदान की जानी चाहिए।

इसके अलावा, वोटिंग राइट्स एक्ट की धारा 208 मतदाताओं, जो अपने अंधत्व, अपंगता या नहीं पढ़ लिख पाने के कारण सहायता चाहते हों, अनुमति

देती है कि वे अपनी सहायता के लिए किसी (नियोक्ता या यूनियन के प्रतिनिधि के अलावा) को साथ लाएं। इसका अर्थ यह है कि कोई मतदाता अंग्रेजी में छपे

मतपत्र को पढ़ने में अनुवाद संबंधी सहायता के लिए अपने मित्र या परिजन को साथ में ला सकता है। कुछ स्थानों पर चुनाव अधिकारियों के लिए ज़रूरी है कि वे जानकारी, जैसे कि मतदाता पंजीयन व मतपत्र, अंग्रेज़ी के अलावा अन्य भाषा (ओं) में प्रदान करें। मतदान करने में मतदाता की सहायता के लिए दुभाषिए भी इसमें शामिल हो सकते हैं।

यदि आपको लगता है कि आपके साथ मतदान करने में भेदभाव किया गया या मतदान करने में सहायता नहीं दी गई तो आप डिवीज़न के वोटिंग सेक्शन से (800) 253-3931 पर संपर्क कर सकते हैं। आप इन्हें लिख सकते हैं, पता है Voting Section, P.O. Box 66128, Washington, DC 20035-6128.

नोट :

इस पुस्तिका में बताए गए कार्यालयों को जब आप फोन करेंगे तब फोन पर उत्तर अंग्रेज़ी में दिया जाएगा। यदि आपको अनुवादक चाहिए तो आप आपरेटर को बताएं कि आप कौन सी भाषा बोलते हैं। आपरेटर आपसे कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहेंगे ताकि अनुवादक की व्यवस्था की जा सके। कृपया फोन बंद नहीं करें।

अपंग या अपाहिज व्यक्तियों के लिए यह दस्तावेज बड़े अक्षरों, सुनने हेतु टेप, कम्प्यूटर डिस्क एवं ब्रेल लिपि में भी उपलब्ध होगा।

इस पुस्तिका की प्रतिलिपि बनाना हो तो संकोच नहीं करें।

Federal Protections Against National Origin Discrimination

Hindi

<http://www.usdoj.gov/crt>